न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारी–आव्हाद निवृत्ति सोमनाथ (आई.ए.एस.)
वाद संख्या 64/2010 पुराना नया 14/2022 रा0वा0

उनवान

अब्दुल अजीज पुत्र घासी खां, जाति मुसलमान निवासी सांगानेरी गेट, गुल नगरी, भीलवाड़ा तह0 एवं जिला भीलवाडा

वादी

बनाम

महादेव कॉटन मिल जरिये शंकर मानसिंहका निवासी भोपालगंज, भीलवाड़ा
राजस्थान राज्य जरिये कलक्टर भीलवाड़ा राज0
नगर परिषद भीलवाड़ा जरिये आयुक्त, नगर परिषद भीलवाड़ा
राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, भीलवाड़ा राज0
मु0 जेतुन पुत्री घासी खां जाति मुसलमान निवासी सांगानेरी गेट गुल नगरी भीलवाड़ा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
मोहम्मद रफीक पुत्र घासी खां जाति मुसलमान निवासी सांगानेरी गेट गुल नगरी भीलवाड़ा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
मु0 शरीफन पुत्री घासी खां जाति मुसलमान निवासी सांगानेरी गेट गुल नगरी भीलवाड़ा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

उपस्थितः–अधिवक्ता वादी श्री वी0 के0 शर्मा
अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 01 की और से आर0 एन0 गुप्ता,

–: वाद बाबत् घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा में

आवेदन अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सपठित धारा 151 जा0 दी0 :–

–: निर्णय :–

दिनांक 03.06.2024

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रकरण में प्रतिवादी 01 की ओर से प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 सपठित धारा 151 जा0दी0 का प्रस्तुत कर अंकित किया है कि वाद में वर्णित भूमि राजस्व अधिकार अभिलेख में आबादी अभिलिखित है और अधिनियम 1955 के अन्तर्गत माननीय न्यायालय को सिर्फ कृषि भूमि से सम्बन्धित विवाद जो कि विधि में वर्णित है, सम्बन्ध में ही क्षेत्राधिकार हासिल है आशय यह है कि वर्तमान मामले में चूंकि विवादित मि कृषि भूमि से भिन्न वर्गीकृत है। इस प्रकार आबादी भूमि के मामलों में प्रसंज्ञान लेने की धिकारिता माननीय न्यायालय को हासिल नहीं है। इस प्रकार माननीय न्यायालय द्वारा की ा रही कार्यवाही क्षेत्राधिकारविहीन होकर वादी द्वारा प्रस्तुत वाद सिर्फ इसी आधार पर ारिज किये जाने से भिन्न कोई विकल्प विद्यमान नहीं है।

माननीय न्यायालय से प्रार्थना है कि आवेदन में वर्णित तथ्यों एवं विधि की रोशनी में ादी प्रस्तुत वाद इसी प्रकम पर खारिज किये जाने की आज्ञा प्रदान की जावे।

प्रतिवादी कम 01 के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सपठित धारा 151 जा0 दी0 का जवाब वादी की ओर से प्रस्तुत किया जो इस प्रकार है कि प्रतिवादी ने अपने प्रार्थना त्र आदेश 07 नियम 11 प्रस्तुत कर क्षेत्राधिकार का प्रश्न उठाया है जबकि आदेश 07 नियम 1 सीपीसी में क्षेत्राधिकार के सम्बन्ध में कोई उपबन्ध ही नही है जिस कारण से प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 में कोई कानूनी प्रावधान नही होने के कारण षणीय नहीं है।

सीपीसी में क्षेत्राधिकार के बारे में आदेश 07 नियम 10 में बताया गया है कि सम्बन्धित क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय में प्रस्तुत करने के लिए वाद लोटा दिया जायेगा जिसमें वाद स्थित किया जाना चाहिये।

वादी ने अपनी बहस में वाद के निम्न तथ्य प्रकट करते हुए बताया कि प्रतिवादी संख्या 01 ने बिना आदेश 07 नियम 11 को पढे। माननीय न्यायालय के समक्ष बिना कानूनी आधारों

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

के यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जिस पर माननीय न्यायालय प्रतिवादी के विरूद्ध सख्त कार्यवाही कर उनके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 सपठित धारा 151 सी.पी. सी मय कोस्ट खारिज कराया जावे।

वादी का वाद वर्ष 2010 में पेश किया गया उस समय वादग्रस्त आराजी बिलानाम गेरकाबिल काश्त अकृषि के खाते में होने से वादग्रस्त आराजी के संबंध में क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार इस न्यायालय का होकर वादी का वाद दर्ज कर सुनवाई की गई, इस प्रकरण में श्रवणाधिकार के संबंध में आदेश 07 नियम 10 लागू नही होता है।

वादी ने वाद बाबत घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत कर अंकित किया है कि ग्राम भीलवाडा के साबिक आराजी नम्बर 2343, 2247, 2248, 2264, 2265, 2266 कुल किता 06 रकबा 09 बीघा 16 बिस्वा भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 05 से 07 के पूर्वज इस्माईल पिनारा के नाम दर्ज चली आ रही थी। इस्माईल के देहान्त के बाद वादी काबिज चला आ रहा है, उपरोक्त आराजी का खाता जमाबन्दी संवत 1985 में दर्ज है उक्त भूमि को बिना किसी आधार के प्रतिवादी संख्या 01 महादेव कॉटन मिल के नाम आबादी में दर्ज कर दिया जो विधि विरूद्ध है। वादी ने उक्त भूमि को मौरूषि जायदाद होना बताया है, वादी ने वाद में नवीन बंदोबस्त के आराजी नम्बर 3038, 3039, 3055 कुल किता 03 रकबा 13 बीघा 03 बिस्वा भूमि का उल्लेख करते हुए वादग्रस्त आराजी की घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री प्रतिवादीगण के विरूद्व चाही है।

प्रतिवादी संख्या 01 ने वाद का जवाब प्रस्तुत करते हुए वादी के वाद को अस्वीकार करते हुए अंकित किया है कि वाद में वर्णित भूमि तत्कालीन रियासत द्वारा मिशल संख्या /97 संवत 2002 से तारीख 01.11.1946 नम्बर 993 तारीख 12.11.1946 से 250/– रू. प्रतिबीघा से नजराना पर महादेव कॉटन मिल जरिये पुषालाल को बापी देने की मंजूरी हुई, जिससे उक्त आराजियात एवं अन्य आराजियात जिनका कुल रकबा 156 बीघा 06 बिस्वा भूमि बिलानाम आबादी में ली गई और बिलानाम आबादी दर्ज होने के बाद उक्त 156 बीघा 6 बिस्वा भूमि का बापी पट्टा श्री पुषालाल पिता महादेव मानसिंहका सा0 भीलवाडा को दिये जाने का आदेश तत्कालीन राज्य व जसवन्त सिंह डिस्ट्रीक कलेक्टर भीलवाडा द्वारा संवत 2003 मिति पोष शुद्वि 9 तारीख 01.01.1947 को दिये जाने का आदेश दिया गया। इस तरह मुलिया भूमि तत्कालीन रियासत मेवाड द्वारा बिलानाम आबादी दर्ज किया जाकर बापी पट्टा श्री पुषालाल मानसिंहका को जारी किया, उक्त भूमि पर महादेव कॉटन मिल स्थापित है और जिसकी चार दीवारी एवं फैक्ट्री शेड आदि निर्मित होकर विद्यमान है। इस प्रकार उक्त भूमि कृषि भूमि नही रही, तथा धारा 207 RTA के अनुसार वर्तमान वाद की श्रवणाधिकारिता राजस्व न्यायालय को कानूनन हासिल न होकर आदेश 07 नियम 11 सीपीसी के तहत निरस्त किये जाने योग्य है।

राजस्थान सरकार स्वायत्त शासन विभाग के आदेश संख्या भूमि/एफ (ड)()डीएलबी/07/16352–56 दिनांक 15.12.2007 से राजस्थान नगर पालिका अधिनियम के अन्तर्गत भू–उपयोग परिवर्तन की अनुमति/स्वीकृति जारी की है। जिसमें इस तथ्य को अनुमत किया है कि राजस्व अभिलेख में भूमि का बिलानाम गैरकाबिल दर्ज होकर किस्म गैर मुमकिन आबादी दर्ज होने से भूमि के स्वामित्व पर कोई असर नही पडता है। क्योंकि सभी नगरीय क्षैत्रो की सकल भूमि जिसके पट्टे पूर्व रियासतों, राज्य सरकार, स्थानीय निकायों द्वारा जारी किये हुए है वह बिलानाम गैर मुमकिन आबादी में दर्ज होती है। इस प्रकार प्रश्नगतः भूमि का भूस्वामित्व स्पष्ट पट्टेदार का प्रमाणित है इस प्रकार राज्य सरकार द्वारा भी प्रतिवादी संख्या 01 के स्वामित्व को स्वीकार किया गया है। यह भी कथन किया है कि वाद की कार्यवाही के किसी भी प्रक्रम पर वाद के पोषणीयनता के संबंध में विधि आक्षेप उठाया जा सकता है। प्रतिवादी संख्या 01 के अधिवक्ता ने कथन किया है कि वर्तमान वाद आदेश 07 नियम 11 (डी) के अन्तर्गत श्रवणाधिकार, क्षैत्राधिकार न होने से खारिज किये जाने से भिन्न कोई विकल्प विद्यमान नही है।

Ahad

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

पत्रावली के परीक्षण अनुसार एवं दस्तावेज का विवेचन किया गया, वर्तमान मामले में आदेश 7 नियम 11 सिविल प्रक्रिया संहिता के आवेदन का निस्तारण किया जा रहा है। सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 07 नियम 11 के उपबन्द निम्नानुसार है :–

Rejection of plaint.- The plaint shall be rejected in the following cases-

a) where it does not disclose a cause of action;

b) where the relief claimed is undervalued, and the plaintiff, on being required by the Court to correct the valuation within a time to be fixed by the Court, fails to do so;

c) where the relief claimed is properly valued but the plaint is written upon paper insufficiently stamped, and the plaintiff, on being required by the Court to supply the requisite stamp-paper within a time to be fixed by the Court, fails to do so;

d) where the suit appears from the statement in the plaint to be barred by any law;

e)where it is not filed in duplicate;]

f) where the plaintiff fails to comply with the provisions of rule provided that the time fixed by the Court for the correction of the valuation or supplying of the requisite stamp-paper shall not be extended unless the Court, for reasons to be recorded, is satisfied that the plaintiff was prevented by any cause of an exceptional nature for correcting valuation or supplying the requisite stamp-paper, as the case may be, within the time fixed by the Court and that refusal to extend such time would cause grave injustice to the plaintiff.]

इस प्रकार उक्त प्रावधान से यह तो सुस्पष्ट है कि यदि वादपत्र के परिशीलन से विधि द्वारा प्रतिषिद्ध (BARRED BY LAW) पाये जाने की स्थिति में न्यायालय ऐसे मामलो का संज्ञान नही लेगा और वाद खारिज किया जावेगा। धारा 207 RTA के साथ अनुलग्न सूची में उपबन्धित है कि काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत वर्णित मामलो में सिर्फ राजस्व न्यायालय ही संज्ञान लेगा। इस प्रकार राजस्व न्यायालय सिर्फ ऐसी भूमि के बारे में जो कि RTA में परिभाषित भूमि के बारे में ही संज्ञान लेगा। बकौल वादी पेराकम 04 में उसकी स्वंय की स्वीकारोक्ति है कि वाद में वर्णित भूमि को बमद आबादी दर्ज किया गया है अर्थात् उक्त भूमि कृषि भूमि नही रही है। वाद में वर्णित भूमि का स्थल निरीक्षण भी हमारे द्वारा दिनांक 22.04.2024 को किया गया ओर मौके पर यह भूमि चितौडगढ रोड, पुराना बस सटेण्ड, रामधाम व कुम्भा सर्कल के मध्य स्थित है। वर्तमान में उक्त खसरा नम्बरान की भूमि पर मौके पर एक माईका फैक्ट्री बनी होकर चालू है। महादेव कॉटन मिल्स फैक्ट्री बनी होकर चालू है, फैक्ट्री के पास एक आवासीय मकान बना हुआ हे इसके अलावा एक सुजुकी एन्कलेवर आवासीय कालोनी बनी होकर निवासरत मकान बने हुये है। एक रिलायन्स मॉल बना हुआ है। रिलायन्स मॉल के पीछे आर0सी0एम0 की केसरिया हाईट नाम से बिल्डिंग बनी होकर आवासीय फ्लेट बने हुए है, इसके सामने वाणिज्यिक इमारते बनी हुई है, एवं दुकाने भी बनी हुई है, शेष भूमि रिक्त पडी हुई है।

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

आदेश 07 नियम 11 CPC की उपर्युक्त उल्लेखित प्रावधानों के अनुसरण में RTA एवं उक्त आदेश 7 नियम 11 CPC को एक साथ परिशीलन करने पर प्रकट है कि वाद में वर्णित भूमि आबादी भूमि है और यह न्यायालय सिर्फ कृषि भूमि के सम्बन्ध में संज्ञान लेने हेतु अधिकृत है। राज्य सरकार स्वायत्त शासन विभाग द्वारा भी उक्त भूमि का स्वामित्व प्रतिवादी संख्या 01 का मानते हुए ही भू–उपयोग परिवर्तन की अनुमति दिनांकित 15.12.2007 से जारी की है। इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 01 के स्वामित्व के बारे में कोई विवाद नहीं बचता है।

वादी ने वाद प्रतिवादीगण के विरूद्ध ग्राम भीलवाड़ा के बेरून हल्के में वादी व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 05 से लगायत 07 के विरूद्ध पेश किया ईस्माईल पीनारा के खातेदारी अधिकार की निम्न भूमि थी :–

साबिक आराजी संख्या	रकबा बीघा	बिस्वा
2243	01	15
2247	01	03
2248	02	02
2264	–	05
2265	02	09
2266	02	02
कुल किता 06	रकबा 09	बिस्वा 16

उक्त वर्णित आराजियात के नवीन सेटलमेंट में नवीन नम्बर निम्न जिनका विवरण निम्न है:–आराजी संख्या 3038 रकबा 03 बीघा 14 बिस्वा, आ0नं0 3039 रकबा 5 बीघा 2 बिस्वा, आ0नं0 3055 रकबा 04 बीघा 07 बिस्वा कुल किता 03 कुल रकबा 13 बीघा 03 बिस्वा कायम किये वादपत्र में अंकित किया है कि उक्त वर्णित आराजियात वादी के पूर्वज ईस्माईल पिनारा के नाम खातेदारी हक से राजस्व माली कागजों में अभिलिखित हो चली आ रही थी। ईस्माईल पिनारा का देहान्त हो चुका है। ईस्माईल पिनारा के देहान्त बाद उनके वारिसान, जो वादी हैं तौके पर काबिज हो उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है। वाद में वर्णित साबिक आराजी के प्रमाण में जमाबंदी की प्रमाणित नकल संवत 1985 की वाद में पेश है ।

वादीगण का पारिवारिक सजरा इस प्रकार है:–

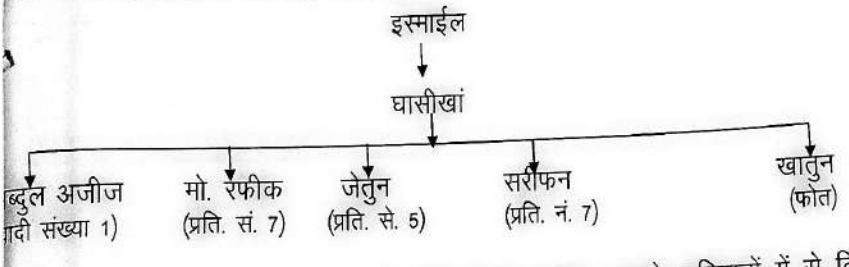

विवादित आराजियात को मृतक ईस्माईल पिनारा अथवा उसके वारिसानों में से किसी ने भी किसी को भी विक्रय नहीं की है व न अन्य किसी भी प्रकार से हस्तान्तरित ही की है।

विवादग्रस्त आराजियात पर कब्जा व दखल वादी का ही सदैवानुसार से अर्थात अपने पूर्वजों के वक्त से ही चला आ रहा है विवादित आराजियात पर कोई किसी प्रकार से प्रतिवादी संख्या 1 महादेव कॉटन मिल का कोई कब्जा और दखल नही है व न ही विवादित आराजियात पर कोई निर्माण ही है।

विवादाग्रस्त आराजियात न तो ईस्माईल पिनारा ने व न ही उसके वरिसानों ने जो वादी व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 05 से लगायत 07 है ने किसी को विक्रय की है व न ही इनसे सरकार द्वारा अधिग्रहण की गई है व न अधिग्रहण सम्बन्धी कोई किसी प्रकार के कार्यवाही ही की गई है ।

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

वादी ने विवादित आराजियात के संबंध में एक नोटिस दिनांक 25.01.2010 को नगर भीलवाड़ा को दिया जिसके पश्चात वादी ने वादपत्र पेश किया।

प्रतिवादी संख्या 01 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि मौजा भीलवाड़ा की आराजी नं. 2243 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा, आराजी न. 2247 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा नं. 2248 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा आराजी नं. 2264 रकबा 5 बिस्वा, आराजी नं. 2265 बीघा 9 बिस्वा एवं आराजी नं. 2266 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा कुल किता 6 रकबा 9 16 बिस्वा भूमि श्री ईस्माइल वल्द हसन खां पीनारा के नाम पर संवत 1985 से पूर्व दर्ज वादी ने अपने वादपत्र में यह स्पष्ट नहीं किया है कि गत बंदोबस्त के 09 बीघा 16 रकबे का नवीन बंदोबस्त में 13 बीघा 3 बिस्वा रकबा किस प्रकार बना है। ऐसी स्थिति में वादी का वादपत्र मोगम व अस्पष्ट होने से और तथ्यों को छिपाकर पेश किये से निरस्तनीय है।

संवत् 2003 के रजिस्टर तब्दिलात में साबिक बंदोबस्त की आराजियात नंबर 2243, 7, 2248, 2264, 2265, 2266 व अन्य आराजियात कुल रकबा 156 बीघा 6 बिस्वा भूमि ल नं. 5/97 संवत् 2002 से महकमा खास नं. 21654 तारीख 1–11–1946 महकमा माल 993 तारीख 12–11–1946 से 250/– रूपये प्रति बीघा से 36,937/– रूपये 50 पैसे राना से महादेव कॉटन मिल के लिये पूसालाल जी को बापी देने व नजूल टेक्स के /– रूपये इक आना वसूल करने की मंजूरी हुई जिससे उक्त 156 बीघा 6 बिस्वा भूमि लानाम आबादी में ली गयी। बिलानाम आबादी में दर्ज होने के बाद उक्त 156 बीघा 6 बिस्वा का बापी पट्टा श्री पुषालाल पिता महादेव जी मानसिंहका सा. देह भीलवाड़ा को 075/–रुपये में दिये जाने का आदेश राज्य मेवाड़ व एतमाम जसवतसिंह जी डी.क. लवाड़ा द्वारा वाके संवत् 2003 मिति पौष सुदी नवमी तारीख 1–1–1947 को दिये जाने का देश दिया गया। इस पूरी 156 बीघा 6 बिस्वा भूमि के पड़ौस पूर्व में रेल्वे लाईन व कच्ची ड़क, पश्चिम में मक्बुजा आराजी, उत्तर में सड़क पुर के रास्ते की, दक्षिण में रास्ता नं. 67/2 थे । इसमें यह भी आदेश दिया गया कि इस चारों पड़ौस बीचली आराजी माफिक क्शा बापी कर देनी है जिस पर महादेव कॉटन मिल का काम हकसर करावे ।

ग्राम भीलवाडा की साबिक आराजियात 156 बीघा 6 बिस्वा भूमि जिसमें की ईस्माइल नारा के नाम की 9 बीघा 16 बिस्वा भूमि भी सम्मिलित थी, उसको राज्य मेवाड़ के महकमा ख़ास व महकमा माल द्वारा बिलानाम आबादी में दर्ज कर दिया गया और उसका बापी पट्टा भी पुषालाल जी मानसिंहका के नाम पर जारी कर दिया गया उस पर महादेव कॉटेन मिल का काम हकसर करने का आदेश दे दिया गया और इस पर मिल की स्थापना कर दी गयी तो वादी का उक्त वर्णित भूमि पर कब्जा चला आ रहा होने का प्रश्न ही नहीं उठता है । वादी ने सभी तथ्यों को जानते हुए भी कपटपूर्व झुठा वाद प्रस्तुत किया है इसके संबंध में वादी के विरूद्ध कठोर क्रिमिनल कार्यवाही की जानी चाहिए। इस प्रकार वादी का वादपत्र सव्यय निरस्त किया जाना आवश्यक है ।

उक्त वर्णित आराजियात पर वादी का कभी भी दखल व कब्जा नहीं रहा है । प्रतिवादी सं. 1 के नाम पर उक्त जमीन विधिवत तरीके से बापी पट्टे द्वारा दी गयी थी और अपने पट्टे वाली भूमि पर प्रतिवादी सं. 1 महादेव कॉटन का कब्जा दिनांक 01.01.1947 यानि करीब 63 वर्षों से अधिक अवधि से निरंतर चला आ रहा है ।

प्रतिवादी सं. 1 को उक्त वर्णित 156 बीघा 6 बिस्वा भूमि तत्कालीन राज्य मेवाड़ द्वारा विधिवत तरीके से बापी पट्टा द्वारा दी गयी थी। सन् 1946–47 से ही उक्त 156 बीघा 6 बिस्वा भूमि बिलानाम आबादी के रूप में दर्ज हो गयी थी और उसके बाद बापी पट्टे द्वारा प्रतिवादी सं. 1 को प्रदान कर दी गयी थी जिससे यह भूमि राजस्व भूमि नहीं रही है। ऐसी परिस्थिति में यह वादपत्र माननीय राजस्व न्यायालय के श्रवणाधिकार में नहीं होने से वादी का वादपत्र आदेश 7 नियम 11 CPC एवं राजस्थान टिनेन्सी एक्ट की धारा 207 के तहत निरस्तनीय है।

घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा का वाद आबादी भूमि के संबंध में राजस्व न्यायालय में चलने योग्य नहीं होता है

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
भीलवाडा

वादी किसी भी प्रकार की स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है क्योंकि वादग्रस्त भूमि राजस्व भूमि नहीं है और न ही वादी के नाम पर राजस्व अभिलेख में कभी रही है। इस प्रकार वादी कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। वादी का सरासर असत्य एवं आधारहीन होने से निरस्तनीय है ।

वादी ने वादपत्र के टाईटल में प्रतिवादी महादेव कॉटन मिल को जरिये श्रीमान शंकरसिंह मानसिंहका के रूप में पेश किया है जबकि शंकरसिंह जी मानसिंहका न तो महादेव कॉटन मिल के डायरेक्टर है न पॉवर ऑफ अटॉर्नी होल्डर है। वादी ने गलत प्रकार से तथ्यों का संयोजन किया है जिससे वादी का वादपत्र मिथ्या होने से निरस्तनीय है। प्रतिवादी सं. 1 संस्थान के डायरेक्टर श्री के.के. मानसिंहका है।

मौजा भीलवाड़ा में स्थित साबिक बंदोबस्त की आराजीयात किता 66 रकबा 156 बीघा बिस्वा भूमि जिसमें कि वादपत्र की धारा सं 1 में वर्णित आराजियात भी सम्मिलित है वह राज्य मेवाड़ के नंबर 21654 दिनांक 1–11–1946 व नं. 993 तारीख 12–11–1946 से बिलानाम आबादी में ली गयी। इसके बाद यह भूमि बापी पट्टे से द्वारा श्री पुषालाल पिता महादेव मानसिंहका को महादेव कॉटन मिल स्थापित करने के लिये मिसल नं. 5/97 संवत् 2002 से दिनांक 01 जनवरी सन् 1947 को बापी पट्टे से प्रदान की गयी जिसकी नजराना व अन्य सभी प्रकार की राशियां श्री पुषालाल मानसिंहका द्वारा जमा करवायी गयी थी।

व इस चारदीवारी से गिरी हुई भूमि पर प्रतिवादी सं. 1 का ही निरंतर अधिकार आधिपत्य चला आ रहा है। बाउण्ड्रीवाल के अंदर की भूमि पर प्रतिवादी सं. 1 के अलावा अन्य किसी का कभी भी कब्जा नहीं रहा है। चूंकि सन् 1946–1947 में ही उक्त 156 बीघा 6 बिस्वा भूमि आबादी भूमि के रूप में दर्ज होकर बापी पट्टे द्वारा उद्योग के लिये प्रतिवादी सं. 01 को प्रदान कर दी गयी थी जिससे इस भूमि का स्वरूप कृषि भूमि के रूप में नहीं रहा है जिससे इसी भूमि के संबंध में घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा का वाद धारा 207 RTA के प्रावधानानुसार माननीय राजस्व न्यायालय को न होकर माननीय सिविल न्यायालय को होता है जिससे वादी का यह वाद माननीय राजस्व न्यायालय के श्रवणाधिकार क्षेत्र में नहीं होने से आदेश 7 नियम 11 CPC के तहत निरस्तनीय है।

नगर परिषद भीलवाड़ा ने महादेव कॉटन मिल की जमीन अधिग्रहण करने की कार्यवाही प्रारम्भ की थी जिसके विरुद्ध प्रतिवादी सं. 01 ने माननीय उच्च न्यायालय में रिट पेश की थी लेकिन बाद में राज्य सरकार ने महादेव कॉटन मील की भूमि को अधिसूचना जारी कर अधिग्रहण से मुक्त कर दिया जिससे प्रतिवादी संख्या 01 ने रिट को (WITH DRAW) कर लिया । इससे भी स्पष्ट है कि यह भूमि महादेव कॉटन मिल की ही है।

प्रतिवादी संख्या 01 के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सपठित धारा 151 जा0 दी0 एवं इस प्रार्थना पत्र के वादी द्वारा प्रस्तुत जवाब का अध्ययन किया। वादी के वादपत्र एवं प्रतिवादी के जवाब दावे का अध्ययन एवं परीक्षण किया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात एवं तथ्यों पर मनन किया गया। वादग्रस्त ग्राम भीलवाड़ा के साबिक आराजी नम्बर 2243, 2247, 2248, 2264, 2265, 2266 कुल किता 06 रकबा 09 बीघा 16 बिस्वा भूमि जमाबन्दी महकमा बंदोबस्त राज्य उदयपुर मेवाड़ सम्वत् 1985 में ईस्माईल वल्द हसन मुसलमान पिंजारा सा0 देह दर्ज रेकार्ड थी। तब्दीलात रजिस्टर अनुसार सम्वत् 2003 में उक्त आराजी बिलानाम आबादी दर्ज हो गई। 01 जनवरी 1947 को यानि सम्वत् 2003 में राज्य मेवाड़ ने मी. न. 5/97 सम्वत् 2002 भुपालगंज बनाम पुषालाल वल्द महादेव मानसिंहका सा0 भीलवाड़ा को कस्बा भीलवाड़ा के अन्दर हल्के आबादी पड़त जमीन सरकारी आराजी किता 66 रकबा 156 बीघा 06 बिस्वा भूमि जिसमें यह आराजी नम्बर 2243, 2247, 2248, 2264, 2265, 2266 कुल किता 06 रकबा 09 बीघा 16 बिस्वा भी सम्मिलित थी। जिसे 39078–00 रूपये जमा करके महादेव कॉटन मील हेतु बापी पट्टा जारी किया गया। इसके पश्चात उक्त भूमि सम्वत् 2018 से 2021 की जमाबन्दी में गैर काबिल काश्त किस्म आबादी दर्ज कर दी गई इसके पश्चात उक्त भूमि सम्वत 2056 से 2059 एवं सम्वत 2064 से 2067 तक हाल आराजी नम्बर 3038, 3039, 3055 कुल किता 03 रकबा 13 बीघा 03 बिस्वा भूमि गैर काबिल काश्त किस्म गैर

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

आबादी दर्ज चली आ रही थी जिसे नामान्तकरण संख्या 3473 दिनांक 31.05.2017 से
भीलवाड़ा के नाम दर्ज कर दी गई। इसके पश्चात् श्री महादेव कॉटन मील द्वारा
भीलवाड़ा व अन्य के विरूद्ध एक S.B. CIVIL Write Petition No. 4970/2021 पेश
राजस्थान उच्च न्यायालय जोधुपरु द्वारा दिनांक 01.04.2021 को वादग्रस्त भूमि
के आदेश जारी हुए।

आराजी के सम्बन्ध में प्रकरण संख्या 02/88 दिनांक 17.01.1991 से ग्राम
आराजी नम्बर 3032 से 3034, 3037 से 3045, 3049 से 3056, 3059, 3025,
92 बीघा 14 बिस्वा भूमि नगर परिषद भीलवाड़ा के योजना के कियान्वयन हेतु
कार्यवाही की गई। जिसे राजस्थान सरकार नगरीय विकास विभाग जयपुर की
कमांक प. 06 (1) न. वि. वि./3/98 वर्ष 2001 से सार्वजनिक प्रयोजनार्थ नगर
भीलवाड़ा को आवासीय एवं वाणिज्यक योजना के कियान्वयन हेतु अवाप्त की जा रही
को अवाप्ति से मुक्त कर दिया गया है। वादी द्वारा वादग्रस्त आराजी के संबंध में वर्ष
.2010 को वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 व 92 क आर. टी. एक्ट का प्रस्तुत
गया। वादी का वादपत्र दिनांक 02.05.2011 को अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज
दिया गया।

प्रकरण संख्या 64/2010 राजस्व वाद अनवान अब्दुल अजीज बनाम महादेव कॉटन
व अन्य निर्णय दिनांक 02.05.2011 को पुनः नम्बर पर लेने का प्रार्थना पत्र दिनांक 02.11.
को प्रस्तुत किया गया जिसे दिनांक 09.11.2011 को दर्ज कर सुनवाई कर दिनांक 27.
.2015 को खारिज किया गया।

प्रकरण संख्या 24/2011 निर्णय दिनांक 27.10.2015 की Appeal न्यायालय भू–प्रबन्ध
धिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाड़ा के न्यायालय में अपील प्रस्तुत हुई।
लमें सुनवाई होकर निर्णय दिनांक 06.03.2020 से वादी के वाद को पुनः नम्बर पर लेकर
नवाई की जाकर नियमानुसार निस्तारण करने के निर्देश प्राप्त हुए। इस निर्णय दिनांक
6.03.2020 के विरूद्ध महादेव कॉटन मील जरिये दीपक मानसिंहका निवासी भोपालगंज
लवाड़ा ने न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में निगरानी प्रस्तुत की गई जिसके
गरानी प्रकरण संख्या 1996/2020 निर्णय दिनांक 16.12.2021 से निर्णय प्राप्त हुआ जिसमें
यायालय भू– प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाड़ा द्वारा पारित
र्णय दिनांक 05.03.220 को यथावत रखा गया । माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल
राजस्थान अजमेर से पत्रावली रिमाण्ड होकर प्राप्त हुई जिसे दिनांक 01.02.2022 को दर्ज
रिस्टर कर सुनवाई प्रारम्भ की गई।

प्रतिवादी संख्या 01 की ओर से प्रकरण में प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 सपठित
धारा 151 जा0 दी0 का दिनांक 23.11.2022 को पेश किया। इस प्रार्थना पत्र का वादी की ओर
से दिनांक 10.07.2023 को जवाब पेश किया गया।

एक प्रार्थना पत्र मोहम्मद रफीक पुत्र घासी खां मुसलमान निवासी सांगानेरी गेट
गुलनगरी भीलवाड़ा ने प्रार्थना पत्र आदेश 06 नियम 17 जा0 दी0 का पेश किया। जिसकी
एक प्रति वादी अधिवक्ता को दी गई जिसका जवाब पेश नहीं हुआ।

प्रतिवादी संख्या 01 के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सपठीत धारा 151
जा0 दी0 एवं प्रार्थना पत्र आदेश 06 नियम 17 सीपीसी पर उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस
सुनी। मोहम्मद रफीक पुत्र घासी खां मुसलमान निवासी सांगानेरी गेट गुलनगरी भीलवाड़ा के
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 06 नियम 17 सीपीसी में वाद प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 05 से
07 को वादी संख्या 02 से 04 बनाना चाहता है। जबकि माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान
अजमेर के प्रकरण में प्रार्थी एवं प्रतिवादी संख्या 05 एवं 07 पूर्व में ही अप्रार्थीगण प्रतिवादी
निर्धारित है। ऐसी स्थिति में प्रतिवादी संख्या 05, 06, 07 को वादी अब्दुल अजीज पुत्र घासी
मुसलमान निवासी सांगानेरी गेट गुलनगरी भीलवाड़ा के साथ वादी/प्रार्थी संख्या 02 से
बनाया जाना न्याय संगत नहीं है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आदेश 06 नियम 17 सीपीसी
को खारिज किया जाता है।

सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

वादी द्वारा जो वाद वर्ष 2010 में पेश किया गया था उस समय प्रश्नगत भूमि बिलानाम कृषि भूमि थी। वादी का प्रकरण माननीय राजस्व अपील अधिकारी के आदेश एवं माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के निर्णय के पश्चात पुनः वर्ष 2022 में दर्ज होकर सुनवाई की गई।

प्रतिवादी कम 01 का प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 सपठीत धारा 151 जा0 दी0 का निम्न बिन्दुओं अनुसार स्वीकार योग्य ठहरता है:–

वादी ने ग्राम भीलवाड़ा के साबिक आराजी नम्बर 2243, 2247, 2248, 2264, 2265, 2266 कुल किता 06 रकबा 09 बीघा 16 बिस्वा भूमि के हाल आराजी नम्बर 3038, 3039, 3055 के संबंध में वाद पत्र दिनांक 06.04.2010 को प्रस्तुत किया जबकि उक्त वादग्रस्त आराजी सम्वत् 2002 में बिलानाम आबादी दर्ज हो चुकी थी। इसके पश्चात् वादग्रस्त आराजी को राज्य मेवाड़ के दौरान दिनांक 01.01.1947 सम्वत् 2003 में वादग्रस्त आराजी का बापी पट्टा महादेव कॉटन मील पुषालाल वल्द महादेव मानसिंहका भीलवाड़ा के नाम राशि 39078–00 रूपये जमा करके बापी पट्टा जारी कर दिया गया। वादी द्वारा बिलानाम गैर मुमकिन आबादी को अपने नाम पर दर्ज कराने हेतु करीब 60 वर्ष पश्चात् वाद प्रस्तुत किया है।

वादग्रस्त ग्राम भीलवाड़ा के साबिक आराजी नम्बर 2243, 2247, 2248, 2264, 2265, 2266 कुल किता 06 रकबा 09 बीघा 16 बिस्वा भूमि के हाल आराजी नम्बर 3038, 3039, 3055 पर वादी का कब्जा होने संबंधी कोई रेकार्डेड दस्तावेज वादी द्वारा वाद पत्र में संलग्न नहीं किए है।

वादग्रस्त ग्राम भीलवाड़ा के साबिक आराजी नम्बर 2243, 2247, 2248, 2264, 2265, 2266 कुल किता 06 रकबा 09 बीघा 16 बिस्वा भूमि के हाल आराजी नम्बर 3038, 3039, 3055 नामान्तकरण संख्या 3473 दिनांक 31.5.2017 से नगर परिषद भीलवाड़ा के नाम गैर मुमकिन आबादी दर्ज हो चुकी है। वादी द्वारा उपरोक्त आराजी के सम्बन्ध में जो वाद प्रस्तुत किया गया है जिस पर कृषि कार्य नहीं होकर के अकृषि उपयोग हो चुका है। वादी का वादपत्र पोषणीय नहीं है। वादी का वादपत्र विधि विरूद्ध है।

वादग्रस्त ग्राम भीलवाड़ा के साबिक आराजी नम्बर 2243, 2247, 2248, 2264, 2265, 2266 कुल किता 06 रकबा 09 बीघा 16 बिस्वा भूमि के हाल आराजी नम्बर 3038, 3039, 3055 भूमि वर्ष 2010 के दौरान राजस्थान सरकार के खाते में बिलानाम गैर काबिल कास्त दर्ज होने के पश्चात वादग्रस्त भूमि आबादी क्षेत्र की होने से वादी का वादपत्र विधि विरूद्ध हो चुका है। अतः एवं

:: आदेश ::

प्रतिवादी संख्या 01 का प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 जा0 दी0 सपठित धारा 151 जा0 दी0 का स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त ग्राम भीलवाड़ा के साबिक आराजी नम्बर 2243, 2247, 2248, 2264, 2265, 2266 कुल किता 06 रकबा 09 बीघा 16 बिस्वा भूमि के हाल आराजी नम्बर 3038, 3039, 3055 राजस्व रेकार्ड में गैर मुमकिन आबादी दर्ज हो जाने से निम्न बिन्दुओ के अनुसार :–

1. वादी ने ग्राम भीलवाड़ा के साबिक आराजी नम्बर 2243, 2247, 2248, 2264, 2265, 2266 कुल किता 06 रकबा 09 बीघा 16 बिस्वा भूमि के हाल आराजी नम्बर 3038, 3039, 3055 के संबंध में वाद पत्र दिनांक 06.04.2010 को प्रस्तुत किया जबकि उक्त वादग्रस्त आराजी सम्वत् 2002 में बिलानाम आबादी दर्ज हो चुकी थी। इसके पश्चात् वादग्रस्त आराजी को राज्य मेवाड़ के दौरान दिनांक 01.01.1947 सम्वत् 2003 में वादग्रस्त आराजी का बापी पट्टा महादेव कॉटन मील पुषालाल वल्द महादेव मानसिंहका भीलवाड़ा के नाम राशि 39078–00 रूपये जमा करके बापी पट्टा जारी कर दिया गया। वादी द्वारा बिलानाम गैर मुमकिन आबादी को अपने नाम पर दर्ज कराने हेतु करीब 60 वर्ष पश्चात् वाद प्रस्तुत किया है।

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

वादग्रस्त ग्राम भीलवाड़ा के साबिक आराजी नम्बर 2243, 2247, 2248, 2264, 2265, 2266 कुल किता 06 रकबा 09 बीघा 16 बिस्वा भूमि के हाल आराजी नम्बर 3038, 3039, 3055 पर वादी का कब्जा होने संबंधी कोई रेकार्डेड दस्तावेज वादी द्वारा वाद पत्र में संलग्न नहीं किए है।

वादग्रस्त ग्राम भीलवाड़ा के साबिक आराजी नम्बर 2243, 2247, 2248, 2264, 2265, 2266 कुल किता 06 रकबा 09 बीघा 16 बिस्वा भूमि के हाल आराजी नम्बर 3038, 3039, 3055 नामान्तकरण संख्या 3473 दिनांक 31.5.2017 से नगर परिषद भीलवाड़ा के नाम गैर मुमकिन आबादी दर्ज हो चुकी है। वादी द्वारा उपरोक्त आराजी के सम्बन्ध में जो वाद प्रस्तुत किया गया है जिस पर कृषि कार्य नहीं होकर के अकृषि उपयोग हो चुका है। वादी का वादपत्र पोषणीय नहीं है। वादी का वादपत्र विधि विरूद्ध है।

वादग्रस्त ग्राम भीलवाड़ा के साबिक आराजी नम्बर 2243, 2247, 2248, 2264, 2265, 2266 कुल किता 06 रकबा 09 बीघा 16 बिस्वा भूमि के हाल आराजी नम्बर 3038, 3039, 3055 भूमि वर्ष 2010 में बिलानाम गैर काबिल कास्त दर्ज थी इसके पश्चात वादग्रस्त भूमि आबादी क्षेत्र की होने से वादी का वादपत्र विधि विरूद्ध हो चुका है।

अतः उपरोक्तानुसार वादी का वादपत्र विधि विरूद्ध होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। खर्चा फरिकेन अपना–अपना वहन करे। तद्नुसार डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 03 जून 2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Ahad

(आव्हाद निवृत्ति सोमनाथ)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 नियम 6–7 जा0दी0)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेनसहायक कलक्टर भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी–आव्हाद निवृत्ति सोमनाथ, आई.ए.एस.

उनवान

1. अब्दुल अजीज पुत्र घासी खां, जाति मुसलमान निवासी सांगानेरी गेट, गुल नगरी, भीलवाड़ा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा

बनाम

1. महादेव कॉटन मिल जरिये शंकर मानसिंहका निवासी भोपालगंज, भीलवाड़ा — वादी
2. राजस्थान राज्य जरिये कलक्टर भीलवाड़ा राज0
3. नगर परिषद भीलवाड़ा जरिये आयुक्त, नगर परिषद भीलवाड़ा
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, भीलवाड़ा राज0
5. मु0 जेतुन पुत्री घासी खां जाति मुसलमान निवासी सांगानेरी गेट गुल नगरी भीलवाड़ा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
6. मोहम्मद रफीक पुत्र घासी खां जाति मुसलमान निवासी सांगानेरी गेट गुल नगरी भीलवाड़ा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
7. मु0 शरीफन पुत्री घासी खां जाति मुसलमान निवासी सांगानेरी गेट गुल नगरी भीलवाड़ा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

–: वाद बाबत् घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा में
आवेदन अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सपठित धारा 151 जा0 दी0 :–

प्रकरण संख्या 64/2010 पुराना नया 14/2022 रा0वा0

वादी की ओर से अधिवक्ता श्री वी0 के0 शर्मा एवं प्रतिवादी संख्या 01 की और से आर0 एन0 गुप्ता उपस्थित व अन्य में– इस वाद में आज तारीख 03.06.2024 को पीठासीन अधिकारी आव्हाद निवृत्ति सोमनाथ, आई.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर भीलवाडा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश दिया गया है, जिसके अन्तर्गत डिक्री दी जाती है।

प्रतिवादी संख्या 01 का प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 जा0 दी0 सपठित धारा 151 जा0 दी0 का स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त ग्राम भीलवाड़ा के साबिक आराजी नम्बर 2243, 2247, 2248, 2264, 2265, 2266 कुल किता 06 रकबा 09 बीघा 16 बिस्वा भूमि के हाल आराजी नम्बर 3038, 3039, 3055 राजस्व रेकार्ड में गैर मुमकिन आबादी दर्ज हो जाने से निम्न बिन्दुओ के अनुसार :–

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

1. वादी ने ग्राम भीलवाड़ा के साबिक आराजी नम्बर 2243, 2247, 2248, 2264, 2265, 2266 कुल किता 06 रकबा 09 बीघा 16 बिस्वा भूमि के हाल आराजी नम्बर 3038, 3039, 3055 के संबंध में वाद पत्र दिनांक 06.04.2010 को प्रस्तुत किया जबकि उक्त वादग्रस्त आराजी सम्वत् 2002 में बिलानाम आबादी दर्ज हो चुकी थी। इसके पश्चात् वादग्रस्त आराजी को राज्य मेवाड़ के दौरान दिनांक 01.01. 1947 सम्वत् 2003 में वादग्रस्त आराजी का बापी पट्टा महादेव कॉटन मील पुषालाल वल्द महादेव मानसिंहका भीलवाड़ा के नाम राशि 39078–00 रूपये जमा करके बापी पट्टा जारी कर दिया गया। वादी द्वारा बिलानाम गैर मुमकिन आबादी को अपने नाम पर दर्ज कराने हेतु करीब 60 वर्ष पश्चात् वाद प्रस्तुत किया है।

2. वादग्रस्त ग्राम भीलवाड़ा के साबिक आराजी नम्बर 2243, 2247, 2248, 2264, 2265, 2266 कुल किता 06 रकबा 09 बीघा 16 बिस्वा भूमि के हाल आराजी नम्बर 3038, 3039, 3055 पर वादी का कब्जा होने संबंधी कोई रेकार्डेड दस्तावेज वादी द्वारा वाद पत्र में संलग्न नहीं किए है।

3. वादग्रस्त ग्राम भीलवाड़ा के साबिक आराजी नम्बर 2243, 2247, 2248, 2264, 2265, 2266 कुल किता 06 रकबा 09 बीघा 16 बिस्वा भूमि के हाल आराजी नम्बर 3038, 3039, 3055 नामान्तकरण संख्या 3473 दिनांक 31.5.2017 से नगर परिषद भीलवाड़ा के नाम गैर मुमकिन आबादी दर्ज हो चुकी है। वादी द्वारा उपरोक्त आराजी के सम्बन्ध में जो वाद प्रस्तुत किया गया है जिस पर कृषि कार्य नहीं होकर के अकृषि उपयोग हो चुका है। वादी का वादपत्र पोषणीय नहीं है। वादी का वादपत्र विधि विरूद्ध है।

4. वादग्रस्त ग्राम भीलवाड़ा के साबिक आराजी नम्बर 2243, 2247, 2248, 2264, 2265, 2266 कुल किता 06 रकबा 09 बीघा 16 बिस्वा भूमि के हाल आराजी नम्बर 3038, 3039, 3055 भूमि वर्ष 2010 में बिलानाम गैर काबिल कास्त दर्ज थी इसके पश्चात वादग्रस्त भूमि आबादी क्षेत्र की होने से वादी का वादपत्र विधि विरूद्ध हो चुका है।

अतः उपरोक्तानुसार वादी का वादपत्र विधि विरूद्ध होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करे।

आज दिनांक 03.06.2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी की गई।

(आह्लाद निवृत्ति सोमनाथ)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा